0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1387] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937
No. 1387] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASHADHA 9, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

सं. 64/2015- सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1768(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के उप-वाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, का.आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

गुजरात राज्य से संबंधित क्रम सं. 5 के समक्ष, मूलद्वारका पत्तन से संबंधित कॉलम (3) में आने वाले मद (16) में, कॉलम (4) के मद (क) (i) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर "(i) आयातित कोयला, पेट्रोलियम को फरनेस ऑयल, जिप्सम, चूना पत्थर और फ्लाई ऐश" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 574/11/2015-एलसी]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आईसीडी)

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 62/1994- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 [का.आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवम्बर 1994] के रूप में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 14/2015-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 28 जनवरी, 2015 का.आ. 775 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2015 के तहत संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2015

No. 64/2015-Customs (N.T.)

S.O. 1768(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 62/94 –Customs (N.T), dated the 21st November, 1994, *vide* S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification, in the TABLE,-

against serial number 5 relating to State of Gujarat, in item (16) occurring in column (3) relating to Muldwarka Port, for the entry at item (a)(i) in column (4),

the entry "(i) imported coal, petroleum coke, furnace oil, gypsum, limestone and fly ash" shall be substituted.

[F. No. 574/11/2015-LC]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

Note: [The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 62/1994-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 [S.O. 829(E), dated the 21st November, 1994] and last amended vide notification No. 14/2015-Customs (NT), dated the 28th January, 2015, [S.O. 275(E), dated the 28th January, 2015.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.